महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226007

वेब-साइटः www.basiceducation.up.gov.in, www.upefa.com ई-मेलः upefaspo@gmail.com दूरभाषः 0522-4024440, 2780384, 2781128

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

निपुण भारत

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः गुण0वि0/स्मार्ट क्लास/ 8568 /2023-24 दिनांकः 7 अक्टूबर, 2023

विषयः **आई0सी0टी0 और डिजिटल इनिशिएटिव एवं इनोवेटिव प्रोग्राम फॉर मॉनीटरिंग के अन्तर्गत स्मार्ट क्लास एवं आई0सी0टी0 लैब की स्थापना के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।**

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि आई0सी0टी0 और डिजिटल इनिशिएटिव एवं इनोवेटिव प्रोग्राम फॉर मॉनीटरिंग के अन्तर्गत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा **समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2022-23 में चयनित 18381 परिषदीय उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सेटअप किये जाने तथा प्रत्येक विकासखण्ड (880) स्तर पर एक आई0सी0टी0 लैब की स्थापना के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया है।** उक्त संबंध में शासनादेश के कम में टेक्निकल पार्टनर के रूप में चयनित संस्था- यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोशन, लखनऊ द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से चयनित निविदादाताओं द्वारा परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सेटअप एवं विकासखण्डों में आई0सी0टी0 लैब की स्थापना संबंधी कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर गतिमान है।

जनपदों को स्मार्ट क्लास सेटअप एवं आई0सी0टी0 लैब की स्थापना के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के कमशः पत्रांक-गुण0वि0/आई0सी0टी0-स्मार्ट क्लास/1593/2022-23 दिनांक 21 जून, 2022 एवं पत्रांक-गुण0वि0/आई0सी0टी0-स्मार्ट क्लास/1719/2023-24 दिनांक 10 मई, 2023 द्वारा पूर्व में विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। **इसके साथ ही शासनादेश संख्या-68-5099/79/2022-5 दिनांक 02 सितम्बर, 2023 द्वारा भी सुसंगत निर्देश प्रेषित किये गये हैं (संलग्नक-1)।** तत्कम में विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सेटअप एवं विकासखण्ड में आई0सी0टी0 लैब की स्थापना के संबंध में निम्नवत् निर्देशित किया जाता है :-

1) स्मार्ट क्लास की स्थापना हेतु चयनित विद्यालयों का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद स्तरीय अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आगामी **एक सप्ताह के अन्दर** निरीक्षण कराते हुये स्मार्ट क्लास की स्थापना के सम्बन्ध में पूर्व में प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुसार यथावश्यक तैयारी एवं प्रबन्ध यथा-कक्षा-कक्ष का चिन्हांकन, विद्युतीकरण, विद्युत अर्थिंग सुरक्षा सम्बन्धी रक्षोपाय पूर्ण कर लिये जायें।

2) विद्यालय में स्मार्ट क्लास सेटअप का सत्यापन प्रधानाध्यापक द्वारा एवं विकासखण्ड स्तर पर आई0सी0टी0 लैब की स्थापना संबंधी सत्यापन का कार्य खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जायेगा। तत्संबंधी संकलित सूचना निर्धारित प्रारूप पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

Note: This document is only for the knowledge and bonafide use of the Department of Basic Education, UP Government. Any sharing, publication or reproduction of this document in print or digital form or communication of its contents in any other form by any unconcerned person, body, institute or third party without prior information and approval of the competent authority will be illegal & void ab initio and appropriate action shall be taken against him in accordance with relevant rules & regulations.

3) सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अवस्थापना (कम्प्यूटर प्रोजेक्टर/स्मार्ट टी0वी0 आदि) उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–671/68–5–2020 दिनांक 02 सितम्बर, 2020 द्वारा **"डिजिटल अवस्थापना सुविधाओं की सुरक्षा हेतु प्रबन्ध"** शीर्षक में उल्लिखित निम्नांकित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये :–

- अवस्थापना सुविधा का अंकन ग्राम पंचायत के सम्पत्ति रजिस्टर तथा विद्यालय की स्टॉक पंजिका में अनिवार्यतः किया जायेगा जिस पर प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षर करते हुये उस पर ग्राम प्रधान तथा विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षर कराया जायेगा।
- अवस्थापना सुविधा/स्मार्ट क्लास सम्बन्धी उपकरणों का अधिस्थापन विद्यालय के कक्षा–कक्ष में एक मजबूत दीवार पर किया जायेगा।
- विद्यालय के गेट और कक्षों के समस्त दरवाजों पर सामान्य ताला के स्थान पर डबल इंटरलॉकिंग की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जिस कक्षा–कक्ष में स्मार्ट क्लास के उपकरण हों, उसकी खिड़कियों पर लोहे की सुरक्षित ग्रिल व पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित कुन्डी की व्यवस्था की जाएगी।
- जिस कक्ष में अवस्थापना सुविधा का अधिस्थापन किया जाना है, वहाँ के दरवाजे लोहे के होंगे।
- प्रधान के साथ ही स्कूल परिसर के निकट ग्रामवासियों से भी सुरक्षा हेतु उनका सहयोग लिया जायेगा।
- सुविधा की सुरक्षा का दायित्व विद्यालय के शिक्षामित्र/विद्यालय के रसोइया अथवा विद्यालय के निकटतम निवास कर रहे परिवार को दी जायेगी।
- स्मार्ट क्लास के लिये प्रयोग होने वाले उपकरणों के किसी कारण से चोरी जैसी अप्रत्याशित घटना होने पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज़ कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक का होगा।

4) स्मार्ट क्लास एवं आई0सी0टी0 लैब की स्थापना संबंधी अभिलेखीकरण संबंधित विद्यालय/विकासखण्ड की स्टॉक पंजिका में भी किया जायेगा तथा तत्संबंधी सूचना यू0पी0एल0सी0 द्वारा विकसित वेबपोर्टल एवं मोबाइल ऐप **"निपुण भारत डिजिटल इनिशिएटिव यूनिफाइड पोर्टल"** पर भरी जायेगी एवं निर्देशानुसार समय–समय पर अद्यावधिक की जायेगी।

5) विकासखण्ड स्तर पर बी0आर0सी0 प्रांगण में आई0सी0टी0 लैब की स्थापना तथा चयनित विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना कराये जाने के संबंध में संबंधित संस्था को यथावश्यक वाँछित सहयोग प्रदान किया जाये।

6) विकासखण्ड स्तर पर आई0सी0टी0 लैब की स्थापना हेतु निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सामग्री के अतिरिक्त आई0सी0टी0 लैब के उपयोगार्थ आवश्यक फर्नीचर यथा–कुर्सी, कम्प्यूटर मेज एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा का कय किये जाने हेतु समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2023–24 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Provision for BRCs/URCs मद में TLE/TLM Grant के अन्तर्गत प्रति बी0आर0सी0 के लिये रू0 50,000/– की दर से स्वीकृत धनराशि पृथक से प्रेषित की जा रही है। विकासखण्ड स्तर पर उक्त सामग्री के कय हेतु प्रेषित की जा रही धनराशि का आहरण, खातों का रख–रखाव एवं व्यय प्रकिया संबंधी समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेन्शियल मैनेजमेण्ट एण्ड प्रोक्योरमेण्ट–2018 एवं सुसंगत शासनादेशों व वित्तीय निर्देशों के अनुसार सम्पन्न किया जाये।

7) स्मार्ट क्लास एवं आई0सी0टी0 लैब की स्थापना के समय चयनित निविदादाता द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली समस्त सामग्री **(सूची संलग्न, संलग्नक–2)** की प्राप्ति एवं सत्यापन के संबंध में **चेकलिस्ट संलग्न है (संलग्नक–3)**, जिसमें प्रधानाध्यापक एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्राप्ति संबंधी सूचना अंकित करते हुये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से सत्यापित सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को स्मार्ट क्लास एवं आई0सी0टी0 लैब की स्थापना के **एक सप्ताह के अंदर** उपलब्ध करायी जायेगी। **पी0ए0बी0, भारत**

सरकार द्वारा चयनित स्मार्ट क्लास विद्यालयों की सूची सॉफ्टकॉपी में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है (संलग्नक–4)।

8) स्मार्ट क्लास के माध्यम से कक्षा–शिक्षण हेतु कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विषयों के लिये तैयार किये गये कन्टेण्ट्स के प्रयोग के संबंध में निर्देश पृथक से राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रेषित किये जायेंगे। इसके साथ ही डिजिटल कन्टेण्ट्स के माध्यम से कक्षा–शिक्षण कराये जाने के संबंध में शिक्षकों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन मोड में प्रशिक्षण भी प्रदान किया जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्तानुसार प्राथमिकता पर अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

(विजय किरन आनन्द)
राज्य परियोजना निदेशक

गुण0वि0/स्मार्ट क्लास/ 8568 /2023–24 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
5. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0।
6. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
7. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
8. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
10. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकासखण्ड, समस्त जनपद, उ0प्र0।
11. जिला समन्वयक (प्रशिक्षण), समस्त जनपद, उ0प्र0।
12. गार्ड फाईल।

(विजय किरन आनन्द)
राज्य परियोजना निदेशक

File No.68-5099/79/2022--5 ( )-

संलग्नक-1

I/380060/2023

महत्वपूर्ण

प्रेषक,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी
समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊ, दिनांकः 02 सितम्बर, 2023

विषयः शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम "राज्य अध्यापक पुरस्कार" सम्मान समारोह के साथ स्मार्ट क्लास सेटअप, बी०आर०सी० पर आई०सी०टी० लैब की स्थापना तथा टेबलेट वितरण योजना के शुभारम्भ के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि आई०सी०टी० और डिजिटल इनिशिएटिव एवं इनोवेटिव प्रोग्राम फॉर मॉनीटरिंग के अन्तर्गत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2022–23 में चयनित 18381 परिषदीय उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सेटअप किये जाने तथा प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर एक आई०सी०टी० लैब की स्थापना के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया गया है। तत्क्रम में शासन द्वारा टेक्निकल पार्टनर के रूप में नामित संस्था– यू०पी० इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लि०, लखनऊ द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों में स्मार्ट क्लास सेटअप एवं विकासखण्ड स्तर पर आई०सी०टी० लैब की स्थापना हेतु अग्रेतर कार्यवाही करते हुये उक्त कार्यों हेतु संस्थाओं का चयन कर कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है।

2– अग्रेतर अवगत कराना है कि वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2022–23 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के 209863 शिक्षकों के लिये टेबलेट दिये जाने हेतु भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। तत्क्रम में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के उपयोगार्थ टेबलेट उपलब्ध कराया जाना है। जनपदों में टेबलेट वितरण आदि के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा द्वारा पृथक से प्रेषित किये जा रहे हैं।

3– सूच्य है कि दिनांक 05 सितम्बर, 2023 को मा० मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में "राज्य अध्यापक पुरस्कार" सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। उक्त समारोह में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा स्मार्ट क्लास सेटअप, आई०सी०टी० लैब एवं टेबलेट वितरण की महत्वाकांक्षी योजना का भी शुभारम्भ किया जायेगा। अतः अनुरोध है कि आपके जनपद के चयनित परिषदीय उच्च प्राथमिक, कम्पोजिट एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (सूची संलग्न) में स्मार्ट क्लास सेटअप एवं विकासखण्ड में आई०सी०टी० लैब की स्थापना हेतु निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के लिये अपने स्तर से भी समस्त संबंधित को निर्देशित करना सुनिश्चित करें :–

1) चयनित विद्यालयों का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद स्तरीय अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से निरीक्षण कराते हुये स्मार्ट क्लास की स्थापना के सम्बन्ध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक–गुण०वि०/आई०सी०टी०–स्मार्ट क्लास/1593/2022–23 दिनांक 21 जून, 2023 एवं पत्रांक– 1719/2023–24 दिनांक 10 मई, 2023 (प्रतियां संलग्न) द्वारा प्रेषित दिशा निर्देशों के अनुसार यथावश्यक तैयारी एवं प्रबन्ध यथा–कक्षा–कक्ष का चिन्हांकन, विद्युतीकरण, सुरक्षा सम्बन्धी रक्षोपाय सुनिश्चित किये जायें।

2) सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अवस्थापना (कम्प्यूटर प्रोजेक्टर/स्मार्ट टी०वी० आदि) उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–671/68–5–2020 दिनांक 02 सितम्बर, 2020 (प्रति संलग्न) द्वारा "डिजिटल अवस्थापना सुविधाओं की सुरक्षा हेतु प्रबन्ध" शीर्षक में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

3) विकासखण्ड स्तर पर बी0आर0सी0 प्रांगण में आई0सी0टी0 लैब की स्थापना तथा चयनित विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना कराये जाने के संबंध में संबंधित संस्था को यथावश्यक वाँछित सहयोग प्रदान किया जाये।

4) जनपद स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में मा0 जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित करायी जाये।

5) दिनांक 05 सितम्बर, 2023 को मा0 मुख्यमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में लोक भवन, लखनऊ में आयोजित होने वाले "राज्य अध्यापक पुरस्कार" सम्मान समारोह का दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ के माध्यम से कार्यक्रम का सजीव प्रसारण कराने तथा यू-ट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग कराने के लिये निर्देश प्रेषित किये गये हैं। अतः जनपद स्तर पर उक्त कार्यक्रम के सजीव प्रसारण का अवलोकन करने के लिये सर्व संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

4— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार प्राथमिकता पर अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तवत्।

भवदीय,

Signed by दीपक कुमार
Date: 02-09-2023 14:15:39
Reason: Approved
(दीपक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
4. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0।
5. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
6. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
7. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उ0प्र0।
8. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ0प्र0।
9. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उ0प्र0।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह0/
(अवधेश कुमार तिवारी)
विशेष सचिव

संलग्नक–2

क– विकासखण्ड पर उपलब्ध कराये जा रहे आई0सी0टी0 लैब में उपलब्ध उपकरणों/ सॉफ्टवेयर का विवरण।

कम	सामग्री/उपकरण का विवरण	संख्या
1.	कम्प्यूटर डेस्कटॉप सिस्टम	07
2.	ओ0पी0एस0 सहित इण्ट्रैक्टिव फ्लैट पैनल (आई0एफ0पी0) 65 इंच	01
3.	वायरलेस की–बोर्ड एवं माउस	01
4.	02 बैटरी सहित इनवर्टर एवं कैबिनेट	01
5.	इनबिल्ड माइकोफोन सहित एच0डी0 वेब कैमरा	01
6.	कम्प्यूटर डेस्कटॉप हेतु यू0पी0एस0	07
7.	पी0ए0 सिस्टम (हैण्डहेल्ड माइकस् विद् रिसीवर एण्ड 02 स्पीकर)	01
8.	मल्टी फंक्शन प्रिंटर	01
9.	डिवाइस मैनेजमेण्ट एप्लीकेशन (सॉफ्टवेयर)	--
10.	एंड प्वाइंट प्रोटेक्शन (सॉफ्टवेयर)	--
11.	वाई–फाई राउटर	01
12.	वन टाइम इंस्टालेशन विद् इलेक्ट्रिसिटी, नेटवर्किंग इत्यादि	--
13.	स्टाइलेस पेन एवं अन्य आई0एफ0पी0 एक्सेसिरीज़	--

ख–परिषदीय विद्यालय स्तर पर स्मार्ट क्लास सेटअप हेतु उपलब्ध कराये जा रहे उपकरणों/सॉफ्टवेयर का विवरण।

कम	सामग्री/उपकरण का विवरण	संख्या
1.	ओ0पी0एस0 सहित इण्ट्रैक्टिव फ्लैट पैनल (आई0एफ0पी0) 75 इंच	01
2.	वायरलेस की–बोर्ड एवं माउस	01
3.	01 के0वी0ए0 यू0पी0एस0	01
4.	वाई–फाई डेटा कार्ड मॉडम	01
5.	एच0डी0 वेब कैमरा	01
6.	डिवाइस मैनेजमेण्ट एप्लीकेशन (सॉफ्टवेयर)	--
7.	एंड प्वाइंट प्रोटेक्शन (सॉफ्टवेयर)	--
8.	कक्षा 1–8 तक का डिजिटल कन्टेंट एवं लर्निंग मैनेजमेण्ट सॉफ्टवेयर सहित (सॉफ्टवेयर)	--
9.	वन टाइम हार्डवेयर इंस्टालेशन विद् पावर प्वाइंट	--
10.	स्टाइलेस पेन एवं अन्य आई0एफ0पी0 एक्सेसिरीज़	--

आई0सी0टी0 लैब चेकलिस्ट :–

क्रम	विवरण
1	आईसीटी लैब के लिए कमरे की उपलब्धता (बीआरसी / नजदीकी स्कूल में)
2	आईसीटी लैब हेतु कक्ष सुरक्षा व्यवस्था
3	आई सी टी कक्ष तक विद्युत् कनेक्शन
4	आई सी टी कक्ष तक विद्युत अर्थिंग की उपलब्धता
5	लीज–लाइन/ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट कनेक्शन
6	आईसीटी लैब रूम में आईएफपी माउंटिंग के लिए उचित मोटी दीवार
7	आईएफपी माउंटिंग वॉल पर कोई जल रिसाव/सीलन इत्यादि न हो या इंस्टॉलेशन से पूर्व सही करा लिया जाये।
8	चयनित सर्विस प्रोवाइडर द्वारा इनस्टॉल किये जाने वाले आईसीटी लैब उपकरण को डिलीवरी के उपरांत स्टोर करने हेतु सुरक्षित कक्ष का चयन
9	आईसीटी लैब स्थापना से पूर्व पत्र में निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप फर्नीचर और सीसीटीवी की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना
10	कमरे में पंखे तथा अच्छी रोशनी की उपलब्धता
11	आईसीटी लैब कक्ष तथा बीआरसी परिसर को सुरक्षित रखने हेतु डीवीआर और सीसीटीवी उपकरण की स्थापना
12	आईसीटी लैब के परिचालन हेतु बी आर सी पर पूर्व से उपलब्ध तकनीकी मानव संसाधन को हैंडहोल्डिंग तथा संचालन हेतु चयनित सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ट्रेनिंग के लिए नामित करते हुए ट्रेनिंग कराया जाना

खण्ड शिक्षा अधिकारियों हेतु दिशा–निर्देश

1. आईसीटी लैब बीआरसी अथवा नजदीकी विद्यालय भवन में स्थापित की जाएगी। यदि बीआरसी कार्यालय में उपयुक्त कक्ष उपलब्ध नहीं है तो निकटस्थ उच्च प्राथमिक विद्यालय (बी0आर0सी0 प्रांगण का विद्यालय) में आई0सी0टी0 लैब स्थापित किया जायेगा तथा तत्संबंधी सूचना से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।
2. आईसीटी लैब सेटअप के लिए एक उपयुक्त कमरे का निर्धारण किया जाना तथा सुनिश्चित किया जाना कि जिस दीवार पर आईएफपी पैनल लगाया जाएगा उस पर कोई जल रिसाव/सीपेज न हो और पुष्टि करें कि आईएफपी पैनल को सहारा देने के लिए दीवार पर्याप्त रूप से मजबूत है।
3. आई सी टी लैब स्थापित किये जाने वाले कक्ष में आई सी टी इंस्टालेशन से पूर्व बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना।
4. आई सी टी लैब कक्ष तक आई सी टी लैब इंस्टालेशन से पूर्व विद्युत अर्थिंग कनेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना।
5. आईसीटी लैब की स्थापना से पूर्व समस्त आवश्यक फर्नीचर की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना जैसे–कंप्यूटर टेबल और कुर्सियां, प्रिंटर के लिए छोटी टेबल इत्यादि।
6. प्रत्येक बीआरसी को फर्नीचर (कंप्यूटर टेबल और कुर्सी और सीसीटीवी उपकरण इत्यादि) की खरीदारी हेतु रु 50,000 रुपये आवंटित किया जा रहा है।
7. आई सी टी लैब के उपकरण की डिलीवरी के उपरांत चालान में अंकित समस्त हार्डवेयर आइटम की प्रारंभिक गणना करें तथा यह सुनिश्चित करते हुए कि वे प्रोजेक्ट घटक सूची से मेल खाते हैं।
8. आईसीटी लैब के समस्त हार्डवेयर कम्पोनेन्ट प्राप्त करने के उपरांत चालान प्रतियों पर प्राप्त सामान के सत्यापन हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहर लगाये जायेंगे।
9. आईसीटी लैब के कम्पोनेन्ट को बीआरसी कार्यालय में सुरक्षित रूप से संरक्षित करना सुनिश्चित करें तथा चयनित सर्विस प्रदाता की इंस्टॉलेशन टीम द्वारा सभी कम्पोनेन्ट इनस्टॉल किये जायेंगे।
10. आईसीटी लैब कम्पोनेन्ट की डिलीवरी के उपरांत किसी भी हार्डवेयर पैकेजिंग को स्वयं या विभागीय कर्मचारी द्वारा नहीं खोला जायेगा। यह कार्य चयनित सर्विस प्रदाता की इंस्टालेशन टीम द्वारा किया जायेगा।
11. चयनित सेवा प्रदाता की टीम द्वारा आई सी टी लैब के रखरखाव एवं संकलन हेतु प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा।
12. आईसीटी लैब कम्पोनेन्ट के इंस्टालेशन का ब्रांड, मॉडल नाम, मात्रा तथा सभी इन्सटाल्ड कम्पोनेन्ट फंक्शनल स्थिति में होने के उपरांत सत्यापित किया जायेगा तथा आईसीटी लैब घटकों की पूर्ण स्थापना के बाद अंतिम साइन–ऑफ प्रक्रिया पूरा किया जायेगा। प्रोजेक्ट साइन–ऑफ पत्र पर बीईओ का हस्ताक्षर आवश्यक है।

संलग्नक–3 (बी)

स्मार्ट क्लास चेकलिस्ट :–

क्रम	विवरण
1	चयनित बिडर (सर्विस इन्टीग्रेटर) द्वारा प्रधानाचार्य से संपर्क करते हुए स्मार्ट क्लास इक्विपमेंट डिलीवर किया जायेगा।
2	चयनित सर्विस प्रोवाइडर द्वारा इंस्टॉल किये जाने वाले स्मार्ट क्लास उपकरण को डिलीवरी के उपरांत स्टोर करने हेतु सुरक्षित कक्ष का चयन
3	डिलीवर किये गए इक्विपमेंट को सुरक्षित स्थान पर रखवाना जिससे कि किसी प्रकार से इक्विपमेंट को क्षति न पहुंचे तथा किसी भी इक्विपमेंट को खोला नहीं जायेगा।
4	स्मार्ट क्लास इंस्टालेशन से पूर्व स्मार्ट क्लास के लिए कमरे की उपलब्धता (स्कूल में)
5	स्मार्ट क्लास इंस्टालेशन से पूर्व स्मार्ट क्लास हेतु कक्ष सुरक्षा व्यवस्था
6	स्मार्ट क्लास इंस्टालेशन से पूर्व स्मार्ट क्लास कक्ष तक विद्युत् कनेक्शन
7	स्मार्ट क्लास इंस्टालेशन से पूर्व स्मार्ट क्लास कक्ष तक विद्युत अर्थिंग की उपलब्धता
8	स्मार्ट क्लास रूम में आईएफपी माउंटिंग के लिए उचित मोटी दीवार
9	आईएफपी माउंटिंग वॉल पर कोई जल रिसाव/सीलन इत्यादि न हो या इंस्टालेशन से पूर्व सही करा ली जाय
10	चयनित कमरे में पंखे तथा अच्छी रोशनी की उपलब्धता
11	स्मार्ट क्लास के परिचालन, हैंडहोल्डिंग तथा संचालन हेतु चयनित सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ट्रेनिंग के लिए नामित करते हुए ट्रेनिंग कराया जाना।

प्रधानाध्यापक हेतु दिशा–निर्देश

1. प्रधानाध्यापक को राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा बी0ई0ओ0 के व्हाट्सऐप ग्रुप के माध्यम से मोबाइल ऐप का लिंक एवं यूज़र आई0डी0 पासवर्ड (स्मार्ट क्लास इंस्टालेशन एवं मॉनीटरिंग हेतु) उपलब्ध कराया जायेगा एवं उपलब्ध कराये गए यूजर आई डी पासवर्ड से ऐप में लॉगिन किया जायेगा।
2. विद्यालय के जिस कक्ष में स्मार्ट क्लास की स्थापना की जानी है उस कक्ष की फोटो मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड की जाएगी तथा ऐप में उपलब्ध साइट – रेडिनेस की चेकलिस्ट में सूचना विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
3. उसके पश्चात चयनित बिडर (सर्विस इन्टीग्रेटर) द्वारा प्रधानाध्यापक से सम्पर्क कर स्मार्ट क्लास की आपूर्ति कराते हुए स्मार्ट क्लास का इंस्टालेशन कराया जायेगा।
4. स्मार्ट क्लास के उपकरणों की डिलीवरी के उपरांत डिलीवरी चालान पर प्रधानाध्यपक द्वारा हस्ताक्षर करते हुए स्टेटस ऐप पर अपलोड किया जायेगा तथा चालान की हस्ताक्षरित कॉपी चयनित बिडर द्वारा ऐप पर उपलब्ध करायी जाएगी।
5. ऐप पर उपलब्ध कराई गयी साइट रेडीनेस की सूचना के आधार पर चयनित बिडर (सर्विस इन्टीग्रेटर) द्वारा प्रधानाध्यापक से संपर्क करते हुए स्मार्ट क्लास का इंस्टालेशन एवं हैंडहोल्डिंग ट्रेनिंग कराई जाएगी एवं इसकी सूचना ऐप पर मार्क किया जायेगा।
6. सुनिश्चित किया जाना है कि चयनित कक्ष जिसमें स्मार्ट क्लास इंस्टॉल होना है, उस कक्ष में विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध हो तथा विद्युत अर्थिंग भी उपलब्ध हो।
7. कक्ष की सुरक्षा हेतु मजबूत दरवाजे तथा लॉकिंग सिस्टम हो तथा कक्ष में जिस दीवार पर आई0एफ0पी0 पैनल लगाया जाना है, उस पर किसी प्रकार का जल रिसाव (वॉल सीपेज) न हो।
8. हैंडहोल्डिंग के उपरांत जनपद स्तर पर चयनित बिडर (सर्विस इन्टीग्रेटर) द्वारा स्मार्ट क्लास संचालन की ट्रेनिंग का आयोजन किया जायेगा, जिसमें विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।
9. चयनित बिडर (सर्विस इन्टीग्रेटर) द्वारा समस्त स्मार्ट क्लास इंस्टालेशन का कार्य किया जायेगा।

स्मार्ट क्लास हार्डवेयर की स्थापना के उपरांत प्रोजेक्ट साइन–ऑफ से पूर्व प्रधानाध्यापक को निम्नांकित बिन्दुओं पर सत्यापन किया जाना है:–

1. इंस्टालेशन के उपरांत आई0एफ0पी0 पैनल किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त न हो।
2. आई0एफ0पी0 पैनल के साथ ओ0पी0एस0 डिवाइस लगी हुई है।
3. आई0एफ0पी0 पैनल निश्चित स्थान पर लगा दिया गया है।

4. स्विच ऑन करने पर आई0एफ0पी0 पैनल में पावर की आपूर्ति हो रही है।

आई0एफ0पी0 पैनल को आरम्भ करने पर बेसिक शिक्षा विभाग का लोगो प्रदर्शित हो रहा है।

6. आई0एफ0पी0 पैनल अथवा ओ0पी0एस0 को प्रारम्भ करने पर विभाग का लोगो/ Welcome Screen प्रदर्शित हो रहा है।

7. आई0एफ0पी0 पैनल के साथ एक स्टाइलेस पेन उपलब्ध हो।

8. आई0एफ0पी0 पैनल 1 के0वी0ए0 यू0पी0एस0 के साथ भली–भाँति जोड़ा गया हो।

9. एक के0वी0ए0 यू0पी0एस0 का कनेक्शन बिजली बोर्ड से भली–भाँति किया गया हो।

10. कनेक्शन के उपरान्त किसी प्रकार का कोई तार खुला न हो तथा अर्थिंग की गयी हो।

11. एक के0वी0ए0 यू0पी0एस0 के जांच के क्रम में विद्युत आपूर्ति को रोककर यह सुनिश्चित किया जाये कि आई0एफ0पी0 पैनल यू0पी0एस0 से भली–भाँति जुड़ा हुआ है तथा यू0पी0एस0 से प्राप्त आपूर्ति पर चल रहा है।

12. डाटा मॉडम किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त न हो तथा इंटरनेट सुचारु रूप से काम कर रहा हो।

13. इसके साथ एक सिम कार्ड दिया जायेगा जिसकी KYC प्रधानाध्यापक के नाम पर होगी।

संलग्नक–4

1. **Sites allocation to the Bidders ICT LAB**

The project locations have been distributed to the 3 service providers.

S. No.	Service Provider Name	No of BRC allotted
1	M/s Agmatel India Private Limited	440
2	M/s Bennett Coleman and Company Limited	220
3	M/s Schoolnet India Limited	220

**** The location list is available at the below URL:**

http://bit.ly/ICTLabBRC

SCAN ME

2. **Sites allocation to the Bidders SMART CLASS**

The project locations have been distributed to the 3 service providers.

S. No.	Service Provider Name	No of Schools allotted
1	M/s Bennett Coleman and Company Limited	7353
2	M/s Celkon Impex Pvt. Limited	5514
3	M/s Telecommunications India Limited	5514

The location list is available at the below URL:

http://bit.ly/SPOSmartClass

SCAN ME